

दिनांक 23.12.19 को पेश है।

शंकर

23<sup>12</sup>/<sub>15</sub>

पत्रावली घेय हुई। वकील उमय पत्र उपस्थित  
बार-बार आवाज डिलाई गई। कोई वाद  
नहीं है। पत्रावली का अवलोकन किया गया।  
वकील वादी ने आज तक प्रतिवादी की हलकी  
नहीं कराई है। अतः वादी का दस्ता हलकी  
के अभाव में अदम दायरी अदम पैरवी में  
खारीफ किया जाता है। पत्रावली फैसल थकान  
होकर बाद तकमील दफतर दारिके की जावे।

शंकर  
जिला कलक्टर  
बामनवास (जिला-सोना)

